भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
<u>अतारांकित प्रश्न सं. 1958</u>
(जिसका उत्तर सोमवार, 19 दिसंबर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है।)

"विलासितापूर्ण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर कर"

†1958. श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:
क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विलासितापूर्ण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर लगाए गए करों का ब्यौरा क्या है;
(ख) कराधान के उद्देश्य के लिए सभी विलासितापूर्ण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं की सूची क्या है;
(ग) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विलासितापूर्ण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं से कितना कर संग्रहीत किया गया है;
(घ) क्या सरकार का विलासितापूर्ण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं के दायरे का विस्तार करने का विचार है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(च) क्या सरकार का विलासितापूर्ण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर कर बढ़ाने का विचार है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या इसके क्या कारण है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय/एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017, जिसके अंतर्गत सीमाशुल्क ड्यूटी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, माल एवं सेवाकर आदि जैसे कर/ड्यूटी को लगाया जाता है, में विलासितापूर्ण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं की सूची निर्धारित नहीं होती है।

(घ) से (छ): सभी वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को जीएसटी परिषद की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें संघ सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सदस्य शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद द्वारा अभी ऐसी कोई भी अनुशंसा नहीं की गयी है।

बजट निर्माण की प्रक्रिया के दौरान वार्षिक रूप से सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों की समीक्षा की जाती है और जहां कहीं भी आवश्यकता हो, तद्नुसार, आवश्यक बदलाव भी किए जाते हैं।

*****